

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या
12/43/2025

रजिस्टर्ड नंबर
2025/264

प्रवेश तिथि
09.04.2025

निर्णय दिनांक
08.04.2026

01. प्रवर्तन अधिकारी, अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) ।

—प्रार्थी

बनाम

01. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुगन चन्द, जाति माली, उम्र 45 वर्ष, ग्राम रामपुर, तहसील बानसूर
जिला कोटपूतली-बहरोड, राज0 ।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 85 घरेलू एवं 2 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर्स मय 2 गैस रिफिलिंग मोटर, 12 रेग्यूलैटर व नली को राजसात करने बाबत ।

उपस्थिति :-

1. प्रवर्तन अधिकारी

—विभागीय प्रतिनिधि ।

— निर्णय —

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 85 घरेलू एवं 2 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर्स मय 2 गैस रिफिलिंग मोटर, 12 रेग्यूलैटर व नली को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 "ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया ।

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 02.04.2025 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं बनवारी लाल शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री कृष्ण कुमार बॉयला, प्रवर्तन अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरुपयोग की जांच हेतु मै० आर० के० ऑटो पार्ट्स, प्रेम पवित्र भोजनालय के सामने, मोती डूंगरी, अलवर पर पहुंचा ।

मौके पर श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुगन चन्द, जाति माली, उम्र 45 वर्ष, ग्राम रामपुर, तहसील बानसूर जिला कोटपूतली-बहरोड उपस्थित मिला । श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुगन चन्द की दुकान पर 85 घरेलू एवं 2 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर्स मय 2 गैस रिफिलिंग मोटर, 12 रेग्यूलैटर व नली अवैध रूप से संग्रहित मिले । जिनका मोटर वाहनों में रिफिलिंग मशीन की सहायता से रिफिल करते हुए दुरुपयोग किया जाना पाया गया ।

श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुगन चन्द के द्वारा उक्त घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेण्डर्स का अवैध रूप से रिफिलिंग किया जाना, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है । उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 85 घरेलू एवं 2 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर्स मय 2 गैस रिफिलिंग मोटर, 12 रेग्यूलैटर व नली को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया ।

मौके पर उक्त कब्जेराज 85 घरेलू एवं 2 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर्स मय 2 गैस रिफिलिंग मोटर, 12 रेग्यूलैटर व नली को मै० ज्योति गैस सर्विस, अलवर के प्रतिनिधि श्री अनिल ह पुत्र श्री जोरावर सिंह, शिव कॉलोनी, तिजारा फाटक, अलवर को सुपुर्द किया गया । फर्द अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगीनामा पृथक से तैयार किया गया ।

आ. अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 85 घरेलू एवं 2 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर्स मय 2 गैस रिफिलिंग मोटर, 12 रेग्यूलेटर व नली को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थी को जरिये रजि० नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता बावजूद रजि० तलबी/तामील के अनुपस्थित। अप्रार्थी का जवाब बंद किया जाता है। प्रार्थी की बहस सुनी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर के अनुसार वक्त जांच मौके पर अप्रार्थी महेन्द्र सिंह की मै० आर० के० ऑटो पार्ट्स, प्रेम पवित्र भोजनालय के सामने, मोती झूंगरी, अलवर स्थित दुकान/परिसर पर 85 घरेलू एवं 2 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर्स मय 2 गैस रिफिलिंग मोटर, 12 रेग्यूलेटर व नली अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिनका मोटर वाहनों में अवैध रिफिलिंग कर व्यावसायिक दुरुपयोग किया जा रहा था। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू सिलेण्डरों व अन्य उपकरणों का व्यावसायिक दुरुपयोग किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा वक्त जांच उक्त घरेलू सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अप्रार्थी महेन्द्र सिंह के द्वारा उक्त घरेलू सिलेण्डरों व अन्य उपकरणों का अवैध रूप से व्यावसायिक दुरुपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6-ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6-ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा 85 घरेलू एवं 2 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर्स मय 2 गैस रिफिलिंग मोटर, 12 रेग्यूलेटर व नली को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा उक्त 85 घरेलू एवं 2 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर्स मय 2 गैस रिफिलिंग मोटर, 12 रेग्यूलेटर व नली को सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Aw1
(बीना महावर)
अति० जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज०)